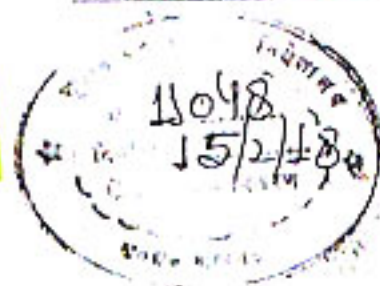


प्रेषक,

डा० बलकार सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ दिनांक 15 फरवरी, 2018

विषय-निर्माण कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ०प्र० खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत साधारण मिट्टी के खनन के लिये भूमिधर की सहमति, खनन योजना को अनुमोदित कराने, पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने आदि के दृष्टिगत खनन अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति में समय लगने की सम्भावना बनी रहती है, जिसके कारण महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का कार्य बाधित होता है। परियोजना में साधारण मिट्टी का कार्य प्रथम चरण का कार्य होता है, जिसकी पूर्णता के उपरान्त ही परियोजना को गति प्रदान की जा सकती है। अतः कार्यहित/खनिज विकास हित में 'साधारण मिट्टी' के खनन/परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र निर्गत करने की वर्तमान व्यवस्था/प्रक्रिया को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है।

S.M.O

बलकार सिंह

निदेश

15-02-18

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-68 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु तात्कालिक प्रभाव से साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन के सम्बन्ध में, निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, जनपद में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा खनन अनुज्ञा-पत्र निर्गत किया जायेगा :-

- (1) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभाग/संस्था/प्राधिकरण/निगम आदि जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), रेलवे विभाग, लोक निर्माण विभाग द्वारा, स्वीकृत डी०पी०आर० के सापेक्ष जनपदवार, मिट्टी की आवश्यकता के लिये वांछित मात्रा का वर्षवार विवरण, सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) सम्बन्धित संस्था/विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिमाह निकाली जाने वाली मिट्टी की मात्रा का विवरण तथा मासिक रूप से कुल मिट्टी की निकासी का विवरण भी नियमित रूप से जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (3) खनन हेतु प्रस्तावित 'साधारण मिट्टी' के लिये उक्त नियमावली की द्वितीय अनुसूची में वर्तमान में विनिर्दिष्ट दर से अग्रिम रायल्टी की धनराशि जमा करायी जायेगी।

- (4) अग्रिम रायल्टी जमा कराये जाने के उपरान्त मिट्टी की आवश्यकतानुसार एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिये खनन अनुज्ञा-पत्र निर्गत किया जायेगा।
 - (5) उपरोक्त परियोजनाओं हेतु **खनन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने के लिए "खनन योजना" अनुमोदित कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।**
 - (6) खनन से पूर्व साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु अनुज्ञा-पत्र धारक द्वारा मिट्टी के परिवहन के लिये प्रयुक्त वाहनो का विवरण जिलाधिकारी कार्यालय (खनन अनुभाग) एवं खान अधिकारी/खनन निरीक्षक को प्रेषित किया जायेगा, जिसमें वाहन का प्रकार, उसका रजिस्ट्रेशन नं०, वाहन क्षमता एवं चालक का विवरण सम्मिलित होगा। इसके आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक वाहन हेतु परिवहन पास निर्गत किया जायेगा, जिसमें स्वीकृत परियोजना का नाम, परियोजना अवधि आदि अंकित होगा।
 - (7) मिट्टी का परिवहन करते समय सम्बन्धित वाहन पर अनिवार्य रूप से उक्तानुसार निर्गत परिवहन पास चस्पा किया जायेगा। परिवहन पास की अवधि समाप्त होने पर उसे जिलाधिकारी को तत्काल वापस कर दिया जायेगा।
 - (8) मिट्टी के परिवहन हेतु प्रयुक्त किये जा रहे वाहन के स्थान पर अन्य वाहन उपयोग में लाये जाने की स्थिति में उसका पुराना परिवहन पास वापस प्राप्त कर लिया जायेगा तथा नये वाहन के सम्बन्ध में भी उक्तानुसार कार्यवाही हेतु पूर्ण विवरण सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (9) अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा मिट्टी के परिवहन हेतु वाहनो का परिवहन पास जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा।
 - (10) मिट्टी के खनन से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति आदि अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा सक्षम स्तर से आवश्यकतानुसार प्राप्त कर लिया जायेगा।
 - (11) सक्षम स्तर की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना किसी सार्वजनिक भूमि/गाँव सभा की भूमि से साधारण मिट्टी का खनन नहीं किया जायेगा।
 - (12) निजी भूमि से खनन के पूर्व भू-स्वामी की सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (13) मिट्टी के संवेदनशील खनन क्षेत्र से खनन संक्रिया प्रतिबन्धित किये जाने का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा।
 - (14) अनुज्ञा-पत्र में उल्लिखित मिट्टी की मात्रा की निकासी पूर्ण होने अथवा अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त होने, जो भी पहले घटित हो, के दिनांक से अनुज्ञा पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. कृपया जनपद में उक्तानुसार साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु खनन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

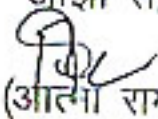
भवदीय,

(डा० बलकार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-32/ (1)/86-2018-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग/औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शारान।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- ✓ 4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निर्णय से सम्बन्धित संस्थाओं को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कृपया कष्ट करें।
5. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० लखनऊ)।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।
९